

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र **CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन **DEFENCE R&D ORGANISATION** भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय **GOVERNMENT OF INDIA** MINISTRY OF DEFENCE मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलुरु - 560 037 MARATHAHALLI COLONY P.O. **BENGALURU - 560 037**

वर्ग अनुमोदन सं.: 1944 / Type Approval No.: 1944

विषय/Sub: इंटर कनेक्शन यूनिट (आईसीय-रियर), पार्ट सं. एलआर000000 Inter Connection Unit (ICU-REAR), Part No. LR000000

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एवियोनिक्स प्रभाग पी.ओ. कोरवा, जिला अमेठी - 227 412 (उत्तर प्रदेश), भारत द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित, "इंटर कनेक्शन यूनिट (आईसीयू-रियर)", पार्ट सं.: एलआर000000, को मास्टर आरेखन इंडेक्स सं.: एलआर00000-444, इश्यू: 'डी', दिनांक 27 जुलाई 2017, के अनुसार ड्रेन III जगुअर वायुयान में उपयोग हेत् अनुमोदित किया जाता है। यह आरसीएमए (कोरवा) की रूपरेखाओं से नियंत्रक विनिर्देश दस्तावेज सं.: एलआर000000-094, इश्यू: 'बी', दिनांक 20 फरवरी 2012 और क्वॉलिफिकेशन स्वीकरण टेस्ट प्रोसीजर (क्यूएटीपी) दस्तावेज़ सं.: एलआर00000-124, इश्यू: 'सी' , दिनांक 24 जनवरी 2014 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Inter Connection Unit (ICU-REAR)" bearing the Part No.: LR000000 designed, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Avionics Division P.O.: Korwa, District: Amethi – 227 412 (Uttar Pradesh), India as per Master Drawing Index No.: LR000000-444, issue: 'D', dated: 27th July 2017 for use on DRAIN III Jaguar Aircraft. It has been tested as per Governing Specification Document No.: LR000000-094, issue: 'B', dated: 20th February 2012 and Qualification Acceptance Test Procedure (OATP) Document No.: LR000000-124, Issue: 'C', dated: 24th January 2014, outlined by RCMA (Korwa). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

ਧੂਬ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सਂ./TA No. 1944

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (कोरवा), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st January 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Korwa), for subsequent renewal, three (3) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए'/Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1944

दिनांक/Date : 10 February 2018

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी जयपाल / P.JAYAPAL मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)

OSIONIB TRAJES